

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

पीठासीन अधिकारी : श्री वीरमाराम आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 145/2021

प्रार्थीगण

बनाम

विप्रार्थीगण

1. गिरधारीराम पुत्र देरामाराम
2. जेठाराम पुत्र देरामाराम
3. पूनमाराम पुत्र देरामाराम
4. भूराराम पुत्र देरामाराम
5. चेनाराम पुत्र हुकमाराम
6. भोमाराम पुत्र हुकमाराम
7. जेताराम पुत्र हुकमाराम सरंक्षक
सरपरस्त चम्पादेवी
8. हरखाराम पुत्र सताराम
9. पनाराम पुत्र सताराम
10. बाबूराम पुत्र सताराम
11. दम्माराम पुत्र सताराम सरंक्षक
सरपरस्त रामूदेवी जातियान जाट
निवासी कैराला पाना, कादानाडी
तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
12. सताराम पुत्र अचलाराम
13. हुकमाराम पुत्र अचलाराम

1. राणाराम पुत्र गोमाराम जाति जाट
निवासी कैराला पाना, कादानाडी
तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
2. शाखा प्रबन्धक, एस.बी.बी.जे. हाल
एस.बी.आई. शाखा सिणधरी
3. श्रीमान तहसीलदार (भू.अ.) सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :-

1. श्री भवंरलाल वकील प्रार्थीगण उपस्थित।
2. विप्रार्थी सं. 1 व 2 एकतरफा।
3. नायब तहसीलदार (उपखण्ड कार्यालय)राज.पैरोकार विप्रार्थी सं. 3 की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक- 22.09.2022

1.संक्षेप में आवेदन पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी सं. 1 की खातेदारी भूमि ग्राम कैराला पाना तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 481,520/481,521/481 भूमि अवस्थित है, जो मूल खसरा नम्बर 481 से विभक्त होकर कायम हुए है। खेत खसरा नम्बर 481,520/481,521/481 की तरमीम मौके पर विद्यमान पक्षकारान के कब्जे काश्त के अनुसार न

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी



होकर राजस्व कार्मिकों की भूल से कब्जा काश्त के विपरीत लट्टा ट्रेस में कर दी गई, जबकि प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा रहवासी ढाणी, टांके, चारबाड़े आदि बने हुए हैं लेकिन मौके पर कब्जा काश्त के विपरीत लट्टा नक्शा में तरमीम होने के कारण प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति हो रही है। अतः विवादित भूमि की मौका कब्जा स्थिति के अनुसार तरमीम दुरुस्ती करवाने हेतु यह आवेदन पेश किया गया है।

2 प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थी सं. 1 व 2 बावजूद नोटिस तामिल के अनुपस्थित रहने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। विप्रार्थी संख्या 03 की ओर से नायब तहसीलदार(उपखण्ड कार्यालय) राज.पैरोकार उपस्थित हुए। विवादित भूमि की मौका जांच रिपोर्ट तहसीलदार सिणधरी से तलब की गई।

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्य को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी सं. 1 की खातेदारी भूमि ग्राम कैराला पाना तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 481,520/481,521/481 भूमि अवस्थित है, जो मूल खसरा नम्बर 481 से विभक्त होकर कायम हुए हैं। खेत खसरा नम्बर 481,520/481,521/481 की तरमीम मौके पर विद्यमान पक्षकारान के कब्जे काश्त के अनुसार न होकर राजस्व कार्मिकों की भूल से कब्जा काश्त के विपरीत लट्टा ट्रेस में कर दी गई, जबकि प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा रहवासी ढाणी, टांके, चारबाड़े आदि बने हुए हैं लेकिन मौके पर कब्जा काश्त के विपरीत लट्टा नक्शा में तरमीम होने के कारण प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति हो रही है। प्रार्थीगण द्वारा अपने खेत की जमाबंदी के साथ नक्शा प्रति नकल लेने पर पता चला कि मौके पर कब्जा काश्त के विपरीत रिकॉर्ड में तरमीम कर दी गई है। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर कथन किया कि तहसीलदार सिणधरी ने अपनी मौका जांच रिपोर्ट में तरमीम दुरुस्ती करने की सिफारिश की गई है। जो तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार विवादित भूमि की लट्टा नक्शा में तरमीम दुरुस्ती करवाने का आदेश फरमावे।

4. विप्रार्थी की ओर से राज.पैरोकार नायब तहसीलदार ने अपनी बहस में जाहिर किया, कि तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण का निस्तारण किया जावे।

5. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, दस्तावेजात एवं मौका जांच रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम कैराला पाना तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 481, 521/481 भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में पृथक दर्ज है एवं खसरा नम्बर 520/481 की भूमि विप्रार्थी सं. 1 की खातेदारी में दर्ज है तथा तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा काश्त के विपरीत लट्टा नक्शा में तरमीम हो रखी है, जो कि गलत तरमीम हो रखी है। जिसकी पुष्टि तहसीलदार सिणधरी की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 25.08.2022 से होता है, इस प्रकार प्रार्थीगण के मौके पर कब्जा काश्त से विपरीत तरमीम होने के कारण प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति भी हो रही है, जबकि प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार ही राजस्व रिकॉर्ड नक्शा लट्टा में तरमीम होनी चाहिए। ताकि राजस्व रिकॉर्ड की एकरूपता बनी रहे और तहसीलदार सिणधरी ने भी अपनी मौका जांच रिपोर्ट में मौका स्थिति के अनुसार तरमीम दुरुस्त करवाने की अनुशंसा की गई है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है, कि विवादित भूमि के खातेदारान का

अपखण्ड अधीक्षक
सिणधरी

के पर कब्जा काशत के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड नक्शा लटढा में तरमीम नहीं हो रखी है। जो प्रार्थीगण मौके पर कब्जा काशत के अनुसार रिकॉर्ड में तरमीम दुरुस्त करवाने के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।

6. लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम कैराला पाना तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 481,520/481,521/481 भूमि की विद्यमान तरमीम निरस्त की जाकर तहसीलदार सिणधरी की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 25.08.2022 के संलग्न प्रस्तावित नक्शा अनुसार तरमीम दुरुस्त करने के आदेश पारित किये जाते हैं, उक्त नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार सिणधरी को तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम दुरुस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है।



(वीरमाराम)

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी
सिणधरी

आदेश आज दिनांक **22-09-2022** को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया



उपखण्ड अधिकारी सिणधरी
सिणधरी